सं. एनएस-एमएससी0ओटीएचआर/19/2025-एनपीसीएस(आरएनआई)
भारत सरकार
भारत के प्रेस महापंजीयक का कार्यालय
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
9वां तल, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
https://prgi.gov.in

दिनांक: 10.09.2025

2025 की एड्वाइजरी संख्या 34

विषय: प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्रों की स्वीकृति – के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय द्वारा दिनांक 28.05.2025 को जारी की गई 2025 की एड्वाइजरी संख्या 18 का संदर्भ लें, जो उन नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशकों के लिए जारी की गई थी, जो अपनी पत्रिकाओं का निरंतर प्रकाशन न करने और पीआरपी अधिनियम, 2023 और पीआरपी नियम, 2024 के अनुसार वार्षिक विवरण फाइल न करने के कारण निष्क्रिय श्रेणी में हैं।

2. तदनुसार, ऐसे सभी प्रकाशकों, जो अपनी पत्रिका के पंजीकरण को पुनः सक्रिय करना चाहते हैं और निरंतर/नियमित प्रकाशन की स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, को यह सलाह दी गई कि वे 2025 की एड्वाइजरी संख्या 11 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।

3. इस संबंध में, **यह ध्यान दिया जाए कि प्रेस सेवा पोर्टल में प्रकाशन निरंतरता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। अतः, एक बार फिर यह सलाह दी जाती है कि जो प्रकाशक अपने प्रकाशन को पुनः सक्रिय करना चाहते हैं, वे प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से पीसीसी जमा कर सकते हैं।**

4. किसी भी समस्या की स्थिति में, सहायता के लिए आप हमारे हेल्पडेस्क से 011-24320025 पर संपर्क कर सकते हैं या अपनी समस्या it-helpdesk.rni@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

यह प्रेस महापंजीयक के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(राजित चंद्रन एम. आर.)
उप प्रेस महापंजीयक